न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 66 / 2016

1 रूपचन्द
2 अमरसिंह पुत्रगण नानड़राम जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रोशन पुत्री गिन्दो देवी लक्ष्मीनारायण स्त्री अमरसिंह जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2 रमेश कुमार पुत्र रिशाल सिंह जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 मृतक जलेसिंह पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं– दौराने अपील मृत्यु
3/1 समाकौर स्त्री
3/2 भूपसिंह पुत्र
3/3 नफे सिंह पुत्र
3/4 विक्रम सिंह पुत्र स्व. जलेसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मृतक चांदली पुत्री नानड़ जाति जाट निवासी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू–दौराने अपील मृत्यु
4/1 भगमल पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/2 संतोष पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/3 मृतक राजपाल पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/3/1 कृष्णा स्त्री
4/3/2 रमेश पुत्र
4/3/3 मोनिका पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/3/4 परमेश्वर पुत्र स्व. राजपाल जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/4 मृतक सत्यवीर पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/4/1 मुन्नी स्त्री
4/4/2 प्रमोद पुत्र
4/4/3 बबली पुत्री स्व. राजपाल जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
4/5 रामनिवास
4/6 सतीश पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी ग्राम दुलोठ जाट तहसील अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़।
5 उप पंजीयक बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 राज. सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी रोशनी बनाम जलेसिंह वगै. दावा नम्बर 215/2013 दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 30/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 215/2013 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम भालोठ तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हिस्सा 1/6 की काश्तकार घोषित होने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को गलत रूप से दिनांक 01.03.2016 को डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नं 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रतिवादी जलेसिंह तथा रमेशकुमार से दुरभि संधि करके दावा पेश किया है। विचारण ने दावा की रिलिफ से हटकर रेस्पोडेन्ट रोशन जलेसिंह व रमेश को फायदा देने के लिये जानबुझकर गलत दावा डिक्री करने में कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 प्रत्येक का पहले 1/5 हक हिस्सा था। रेस्पोडेन्ट चांदली ने जमीन जैर बहस में से अपने 1/5 हक हिस्से की जमीन का हक त्याग पत्र दिनांक 08.03.2010 को अपीलान्टस के हक में कर दिया इस प्रकार अपीलान्टस का जमीन जैर बहस में संयुक्त रूप से 325 हक हिस्सा हुआ तथा प्रत्येक के हिस्सा में 1.284 हैक्टेयर जमीन आती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा अपीलान्टस प्रत्येक को गलत रूप से 1/4 हक हिस्सा की जमीन प्राप्त हो रही है इस कारण अपीलान्टस के हक हिस्सा की जमीन कम हो रही है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के हक हिस्सा की जमीन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

बिना अधिकार के बढ़ रही है। जिस प्रकार से दावा डिक्री किया गया है उसके मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष रोशनी की प्लींडिग भी नहीं है इस प्रकार निर्णय व डिक्री जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण खारिज होने योग्य है। मौजुदा दावा में विवादित जमीन के प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में एक वाद मु.नं. 309/2003 उनवानी नानड़ बनाम ओमप्रकाश तत्कालीन एसडीओ खेतड़ी के न्यायालय में चला था जिसमें पारित निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 624 दिनांक 03.09.2009 को स्वीकृत हुआ तथा उक्त जमीन का अलग से बंटवारा हुआ। रेस्पोडेंट नम्बर 1 की विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्लींडिग रही है कि उसे दावा संख्या 309/2003 में पक्षकार नहीं बनाया उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दावा संख्या 309/2003 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व कोई अपील पेश नहीं की इस कारण रोशनी का दावा विचारण न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं था। विचारण न्यायालय के समक्ष इसी जमीन बाबत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के मध्य एक दुसरा दावा बाबत विभाजन व घोषणा उनवानी जलेसिंह बनाम अमरसिंह विचाराधीन है फिर भी विचारण न्यायालय ने दोनों दावों को एक साथ समेकित किये बिना निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में अपीलान्ट की जवाब देही को जानबुझकर नजर अन्दाज किया है तथा दावा में बिना तनकी बनाये एवं बिना शहादत के अनमेचोर स्टेज पर दावा डिक्री करने में कानूनी गलती की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2016 खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण रिमांड करने पर सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में जमीन हाल खसरा नम्बर 221 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर सरहद. राजस्व ग्राम भालोठ तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हिस्सा 1/6 की काश्तकार घोषित होने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को विचाराधीन निर्णय से दिनांक 01.03.2016 को डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना कर पारित नहीं किये जाने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वरवक्त बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण रिमांड करने में सहमति भी व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन एवं रेस्पोडेन्ट की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर, तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर